गंगा देवी महिला महाविद्यालय

दिनांक 23.09.2026 को अपराह्न 12 बजे Conference Hall में प्राचार्या महोदया की अध्यक्षता में शिक्षकों की बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई / निर्णय लिया गया :-

1. छात्राओं हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम होगी उन्हें परीक्षा-फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

2. महाविद्यालय प्रांगण में छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। छात्राओं द्वारा मोबाइल के प्रयोग पर दंड-शुल्क देय होगा। हमारा कॉलेज No Mobile Zone घोषित है। केवल Common Room में ही छात्रा Mobile Phone का प्रयोग करेंगी।

3. महाविद्यालय में आयोजित आंतरिक परीक्षाओं में Mobile Phone का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है। परीक्षाओं में mobile का प्रयोग करने की स्थिति में दोषी छात्रा के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्राचार्या कार्यालय - पृष्ठ 2 - गंगा देवी महिला महाविद्यालय - दिनांक 23.09.2026

सूचना

4. सभी विभाग को प्राचार्या ने **WhatsApp group delete** करने हेतु निर्देशित किया। **College** का **Official WhatsApp Channel** ही मान्य होगा। महाविद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाएँ **College Website** पर उपलब्ध होती है। महाविद्यालय के सूचना-पट पर भी सूचनाएँ प्रदर्शित रहती है। अतः छात्रायें उक्त स्रोतों से ही महाविद्यालय संबंधी सूचनाएँ प्राप्त करेंगी।

5. छात्राओं को महाविद्यालय **College-Uniform** में आना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने की स्थिति में उनके ऊपर दंडात्मक शुल्क / कार्यवाही की जायेगी।

6. छात्राओं को प्रतिदिन **I-Card** पहनकर आने हेतु निर्देशित किया गया।

7. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क छात्राओं से नहीं लिया जायेगा। मात्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क (25 रुपये) ही मान्य है।

उक्त सभी बिंदुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।